

झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग।

आदेश

संचिका संख्या- 4/आ0-03-1017/2019- **221** राँची, दिनांक- **26/11/19**

उपायुक्त चाईबासा के पत्रांक 851 दिनांक 22.05.2017 एवं विभिन्न स्तरों से प्राप्त प्रतिवेदन द्वारा श्री अनिल लिण्डा, कनीय अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रशाखा-सोनुवा, प्रमण्डल चक्रधरपुर के द्वारा सोनुवा प्रशाखा में पदस्थापन के दौरान चक्रधरपुर प्रमण्डलान्तर्गत लघु ग्रामीण जलापूर्ति योजना के निर्माण एवं अनुश्रवण में पदीय दायित्वों के निर्वाहन में लापरवाही बरतने के कारण अधिकांश योजनाएँ अधूरी/बंद हैं एवं निम्न गुणवत्ता के निर्माण होने के कारण समय से पूर्व ही योजनाएँ क्षतिग्रस्त हो जाने आदि मामले विभाग के संज्ञान में आये। तदोपरांत विभाग द्वारा उक्त मामले की समीक्षा की गयी जिसमें श्री लिण्डा के विरुद्ध उक्त वर्णित आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये गये।

2. उक्त प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये गये आरोपों के विरुद्ध विभागीय पत्रांक 2680 दिनांक 26.07.2019 द्वारा श्री लिण्डा से स्पष्टीकरण पृच्छा की गयी। उक्त के आलोक में श्री लिण्डा द्वारा उनके पत्रांक -शुन्य दिनांक 21.08.2019 द्वारा स्पष्टीकरण विभाग को समर्पित किया गया। उक्त प्राप्त स्पष्टीकरण सहित पूरे मामले की सम्यक् समीक्षा विभाग द्वारा की गयी जिसमें श्री लिण्डा के स्पष्टीकरण में वर्णित तथ्य स्वीकारयोग्य नहीं पाये गये एवं श्री लिण्डा के विरुद्ध पदीय दायित्वों के निर्वाहन तथा योजनाओं के अनुश्रवण में लापरवाही बरतने के फलस्वरूप योजना असफल रहने का आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। तत्पश्चात् श्री लिण्डा के विरुद्ध प्रतिवेदित प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये गये आरोपों हेतु प्रपत्र-क गठित करते हुए विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय विभाग द्वारा लिया गया है।

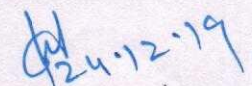
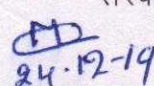
3. उक्त लिए गये निर्णय के आलोक में झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2016 के नियम-17 के तहत श्री अनिल लिण्डा, कनीय अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रशाखा-सोनुवा, प्रमण्डल चक्रधरपुर के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की जाती है।

4. विभागीय कार्यवाही संचालन हेतु श्री नवनीत कुमार, अवर सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को जाँच संचालन पदाधिकारी तथा विभागीय पक्ष प्रस्तुत करने हेतु सुश्री कुमारी रश्मि, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

5. जाँच संचालन पदाधिकारी विभागीय कार्यवाही संपन्न कर अधिकतम 105 दिनों (तीन माह पन्द्रह दिनों) में जाँच प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

6. आरोपित पदाधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे 15 (पन्द्रह) दिनों में अपना लिखित बचाव- बयान जाँच संचालन पदाधिकारी को समर्पित करेंगे तथा उनके निर्देश पर उनके द्वारा निर्धारित तिथि को उनके समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करेंगे तथा विभागीय कार्यवाही के संचालन में हर अपेक्षित सहयोग करेंगे।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि उक्त आदेश की प्रति श्री अनिल लिण्डा, कनीय अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रशाखा-सोनुवा, प्रमण्डल चक्रधरपुर एवं अन्य संबंधित को दी जाय।


(कमलाकान्त गुप्ता)
सरकार के उप सचिव।

24.12.19

ज्ञापांक-

4488

राँची, दिनांक-

26/12/19

प्रतिलिपि- सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ अभियन्ता प्रमुख / सभी संयुक्त सचिव/ सभी उप सचिव / सभी मुख्य अभियंता/ सभी अधीक्षण अभियन्ता (याँत्रिक सहित)/ सभी अवर सचिव (प्रशाखा-01 एवं 03)/ सभी कार्यपालक अभियन्ता (याँत्रिक सहित), पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(कमलाकान्त गुप्ता)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-

4488

राँची, दिनांक-

26/12/19

प्रतिलिपि- श्री नवनीत कुमार, अवर सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची -सह- जाँच संचालन पदाधिकारी तथा विभागीय पक्ष प्रस्तुत करने हेतु सुश्री कुमारी रश्मि, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची सह उपस्थापन पदाधिकारी को आरोप पत्र (साक्ष्य सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0-यथोपरि।

(कमलाकान्त गुप्ता)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-

4488

राँची, दिनांक-

26/12/19

प्रतिलिपि- श्री अनिल लिण्डा, कनीय अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रशाखा-सोनुवा, प्रमण्डल चक्रधरपुर को आरोप पत्र (साक्ष्य सहित) की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशित किया जाता है कि विभागीय जाँच पदाधिकारी के निर्देश पर सुनवाई के हर तिथि को उनके समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्पित करेंगे तथा जाँच कार्य में हर अपेक्षित सहयोग करेंगे।

अनु0-यथोपरि।

(कमलाकान्त गुप्ता)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-

4488

राँची, दिनांक-

26/12/19

प्रतिलिपि-श्री नितिन कुमार, राज्य समन्वयक (IT) (PMU), पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को विभागीय बेवसाईड पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(कमलाकान्त गुप्ता)

सरकार के उप सचिव।

MD
24-12-19